# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 28/2018 राजस्व अपील

1. फैली पुत्र मूलचन्द गुर्जर जाति गुर्जर निवासी ग्राम निहालपुरा तहसील सिकराय उपतहसील सिकन्दरा जिला दौसा

अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सिकन्दरा

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सिकन्दरा दिनांक 10.01.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम फैली प्रकरण संख्या 747/2017 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

उपस्थिति : श्री मानसिंह पाटोली अधिवक्ता अपीलान्ट उप0।
: श्री चन्द्रशेखर टापरिया राजकीय अधिवक्ता उप0।

–: निर्णय :–

दिनांक: 13.06.2018

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का निहालपुरा द्वारा अपीलान्ट के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय में एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि अपीलान्ट ने ग्राम निहालपुरा तहसील सिकराय मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 655 रकबा 0.15 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता पर संवत 2074 में जौ, गेहू की काश्त कर अतिक्रमण कर लिया है तथा पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल किये जाने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन के सिविल कारावास की सजा से भी दिनांक 10.01.2018 को दण्डित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 10.01.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नगत निर्णय विधि विरूद्ध एवं तथ्यो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलान्ट ने सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई व सबूत का मौका नही दिया ना ही पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के समक्ष भूमि का मौका देखा ना मौका रिपोर्ट बनाई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की झूंठी व बेबुनियाद रिपोर्ट को सही मानकर अपीलान्ट को प्रश्नगत आराजी भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 10.01.2018 को निर्णय पारित कर दिया। अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी साबित नहीं है। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया की अपीलान्ट का प्रश्नगत गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिकमण नही है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिकमण नही करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम निहालपुरा तहसील सिकराय मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 655 रकबा 0.15 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता पर संवत 2074 में जौ, गेहू पर काश्त कर अतिक्रमण करने पर अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर निर्णय दिनांक 10.01.2018 के द्वारा अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से बेदखल करने एवं 50 गुणा शास्ति कायम करने के साथ ही 30 दिन का सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

हमने बहस अधिवक्ता उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया है, किन्तु अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अति0 जिला कलक्टर
दौसा

दौरान निवेदन किया गया की अपीलान्ट का प्रश्नगत गैर मुमकिन रास्ता भूमि पर अतिक्रमण नही है तथा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट इस शर्त पर आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम निहालपुरा तहसील सिकराय मे स्थित भूमि खसरा नम्बर 655 रकबा 0.15 है0 किस्म गै0मु0 रास्ता पर से अतिक्रमण हटा लिया जाने एवं भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने बाबत् शपथ पत्र उप तहसीलदार सिकन्दरा के समक्ष प्रस्तुत करने एवं उप तहसीलदार सिकन्दरा द्वारा अतिक्रमण हटा लिया जाना सत्यापित किया जाने पर, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 10.01.2018 में से सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अन्यथा सिविल कारावास सहित अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत प्रभावी रहेगा। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 13.06.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

( राजवीर सिंह चौधरी )
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official